

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN No. L40101DL1989GOI038121



Northern Region-1 Headquarters, Bay No. SCO - 5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002

Phone No.0129-2666303

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे/1.आर.टी.आई./1964/

दिनांक:27.04.2021

सेवा में,

श्री शैतान सिंह पुत्र श्री प्रभुसिंह

ग्राम सेवडा, पोस्ट नगरासर, तहसील कोलायत

जिला बिकानेर, राजस्थान

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2021 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2021 जो कि पावरग्रिड के गुरुग्राम कार्यालय में दिनांक 02.03.2021 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में आपको बिंदुवार सुचित किया जाता है:

बिंदु न.	मांगी गई जानकारी	पावरग्रिड द्वारा दी गई जानकारी
1	कितने टावर लगे हैं और किस आधार पर उसकी सूचना ।	कुल 135 टावर लगे हैं, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के तकनीकी मानकों के आधार पर हैं।
2	सेवडा कि सीमा में कास्तकार को कितना भुगतान और किस आधार पर किया गया है, कॉपी दें ।	किस कास्तकार के मुआवजा भुगतान कि जानकारी चाहते हैं उसका नाम व पता बताया जाए क्योंकि यह हरेक किसान कि निजी जानकारी है उससे सहमति लेने के उप्रांत हि आपको जानकारी दी जा सकती है। कास्तकार को The Electricity Act, 2003 and The Indian Telegraph Act,1885 के अनुसार क्षतिग्रस्त फसल एवं पेडो का मुआवजा सम्बंधित राजस्व विभाग के द्वारा स्वामित्व सत्यापन के उप्रांत दिया जाता है।
3	सेवडा में सार्वजनिक काम कितना किया उसका विवरण दें ।	कुछ नहीं ।
4	भारत सरकार या राज्य सरकार के परमिसन लेटर की कॉपी दें ।	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का पत्र दिनांक 05.07.2019 सलंगन है ।
5	किस ठेकेदार द्वारा काम किया गया उसका नाम, दर और उसका टोटल भुगतान की कॉपी दें।	यह लाइन निर्माण मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है जिसका दर और भुगतान LOA संख्या CC-CS/912-NR1/TW-3957/3/G3/NOA-I/8878 & 8879 Dated:27.08.2019 के अनुसार किया जा रहा है ।

Cont...2

6	किसान के खेतों में लाइन के टावर निकालने पर सरकारी मुआवजे की कॉपी देवें ।	कास्तकार को The Electricity Act, 2003 and The Indian Telegraph Act,1885 के अनुसार क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ों का मुआवजा सम्बंधित राजस्व विभाग के द्वारा स्वामित्व सत्यापन के उप्रांत दिया जाता है।
7	मेन लाइन कितनी KV की है। पोल टू पोल कितना कोण है। तकनिकता नक्शा देवें ।	मेन लाइन 400KV की है। पोल टू पोल का कोण निम्नलिखित है। A टाइप टावर:0-2 डिग्री B टाइप टावर:2-15 डिग्री C टाइप टावर:15-30 डिग्री D टाइप टावर: 30-60 डिग्री तकनिकता नक्शा:मांगी गई जानकारी अस्पष्ट है।
8	पुरानी सर्वे कहाँ हुई थी 15 किलोमीटर लाईन घुमाने की वजह क्या थी ।	तथ्यहीन
9	टोटल किसानों को पर टावर कितना भुगतान किया उसका नाम गिरदावरी नकल की कॉपी देवें और चेक की कॉपी देवे ।	कास्तकार को The Electricity Act, 2003 and The Indian Telegraph Act,1885 के अनुसार क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ों का मुआवजा सम्बंधित राजस्व विभाग के द्वारा स्वामित्व सत्यापन के उप्रांत दिया जाता है। किसान द्वारा जमा किये गये दस्तावेज उसके निजी कागजात होते है जो कि आर. टी. आई के अधिनियम 8 (1) (g) and (j) के तहत नहीं दे सकते ।
10	कितने किसानों ने स्टेय लगाई और कोर्ट में गये उनकी कॉपी देवे ।	कुल 07 किसान फलोदी और कोलायत न्यायालय में गये है, लेकिन किसी भी केस में माननीय न्यायालय ने स्टेय नहीं दी हैं
11	पावरग्रिड ने कितने किसानों पर FIR करवाई उसकी कॉपी देवे ।	शून्य

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक, उ.क्षे.1, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ.क्षे.1.मुख्यालय,
SCO बे.संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002, फोन न.0129-2666301

धन्यवाद ।

for  भवदीय
27/04/2021

[आदर्श श्रीवास्तव]
वरि.महाप्रबंधक (पी.ई.एस.एम)
एवं अधिकृत सी पी आई ओ, पावरग्रिड, उ. क्षे. -1



भारत सरकार

Government of India

विद्युत मंत्रालय

Ministry of Power

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

Central Electricity Authority

विद्युत प्रणाली योजना एवं मूल्यांकन-I प्रभाग

Power System Planning & Appraisal-I Division

सेवा में / To.

The Chairman and Managing Director
Power Grid Corporation of India Ltd.
Saudamini Plot No. 2, Sector - 29
Gurgaon (Haryana) - 122001

विषय : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के तहत M/s Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) को पारेषण योजना "Transmission system associated with LTA applications from Rajasthan SEZ Part-A" के लिये भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन - सम्बंधित

Sub: Prior approval of the Government of India under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) for the transmission scheme "Transmission system associated with LTA applications from Rajasthan SEZ Part-A" - reg.

संदर्भ /Reference: PGCIL letter no. C/CP/SEZ-Rajasthan dated 14.06.2019

Sir,

Reference is invited to the above mentioned letter, seeking prior approval of Government of India under Section 68(1) of Electricity Act, 2003, in favor of M/s Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) for the transmission scheme "Transmission system associated with LTA applications from Rajasthan SEZ Part-A" with following scope of work:

- (i) Establishment of 765/400 kV, 2x1500 MVA pooling station at suitable location near Phalodi/Bhadla in Jodhpur (Bhadla-II PS)
- (ii) Establishment of 765/400 kV, 3x1500 MVA pooling station at suitable location near Fatehgarh in Jaisalmer Distt (Fatehgarh-II PS)
- (iii) LILO of both circuits of Fatehgarh (TBCB) – Bhadla (PG) 765 kV D/c line (op. at 400 kV) at Fatehgarh-II PS so as to establish Fatehgarh (TBCB) – Fatehgarh -II 765 kV D/c line (to be op. at 400 kV) and Fatehgarh-II-Bhadla (PG) 765 kV D/c line
- (iv) Charging of Fatehgarh-II –Bhadla section at 765 kV level
- (v) LILO of both circuits of Ajmer – Bikaner 765 kV D/c line at Bhadla-II PS
- (vi) 1x125 MVar (420 kV), 2x240 MVar (765 kV) Bus Reactor each at Fatehgarh-II PS & Bhadla-II PS substation
- (vii) 1x330 MVar Switchable line reactor for each circuit at Bhadla-II PS end for Ajmer – Bhadla-II PS 765 kV line (after LILO)

- I/5790/2019 (viii) 1x240 MVar Switchable line reactor for each circuit at Bhadla-II PS end for Bikaner – Bhadla-II PS 765 kV line (after LILO)
- (ix) Bhadla-II PS – Bhadla (PG) 400 kV D/c Line (Twin HTLS)
2. The above transmission scheme with its specified scope of work, has been agreed in the 2nd meeting of Northern Region Standing Committee on Transmission (NRSCT) held on 13.11.2018.
3. CEA conveys the prior approval of Government under Section 68(1) of Electricity Act, 2003 to M/s Power Grid Corporation of India Limited for the following overhead lines under the transmission scheme “Transmission system associated with LTA applications from Rajasthan SEZ Part-A”:
- (i) LILO of both circuits of Fatehgarh (TBCB) – Bhadla (PG) 765 kV D/c line (op. at 400 kV) at Fatehgarh-II PS so as to establish Fatehgarh (TBCB) – Fatehgarh-II 765 kV D/c line (to be op. at 400 kV) and Fatehgarh-II – Bhadla (PG) 765kV D/c line
- (ii) LILO of both circuits of Ajmer – Bikaner 765 kV D/c line at Bhadla-II PS
- (iii) Bhadla-II PS – Bhadla (PG) 400 kV D/c Line (Twin HTLS)
4. This approval is subject to compliance of
- a) The relevant provisions of the Act, as amended from time to time and the rules and regulations made there under, and
- b) CEA (Measures relating to Safety and Electrical Supply) Regulations, 2010 and any subsequent amendments made thereto.
5. The approval is also subject to the following conditions:
- (i) The implementing agency will commence construction of the project within three years of grant of approval, unless this term is extended by the Central Electricity Authority.
- (ii) Central Electricity Authority may withdraw the approval before the expiry of the period of three years after giving a one-month notice.
- (iii) The implementing agencies shall abide by the provisions of Works of Licensee Rules, 2006 notified by the Govt. of India, Ministry of Power in the Gazette of India, extraordinary Part-II, Section 3(i) dated 18-04-2006 (vide GSR 217 (E) dated 18-04-2006).

भवदीय / Yours faithfully,

Y. S. Kureel
5/7/2019

(पी. सी. कुरील / P.C. Kureel)

सचिव / Secretary, के.वि.प्रा / CEA

पी.सी. कुरील/P.C. KUREEL

सचिव/Secretary

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

Central Electricity Authority

दिल्ली / New Delhi

प्रति लिपि / Copy to -

- (i) Joint Secretary (Trans), Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, New Delhi